कार्यालय कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला उत्तर बस्तर कांकेर(छ.ग.)

दूरभाष (का.) 07868 –241222 (नि.) 222288, फैक्स (का.) 241801 (नि.) 222960

–:: आदेश ::–

क्रमांक / कले / रीडर / 2020 / 737 कांकेर, दिनांक 16 अप्रैल, 2020

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए WHO के अनुसार कोरोना वायरस (COVID-19) एक संकामक बीमारी है, जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के संपर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की संगरोध की सख्त हिदायत है। प्रायः यह देखने में आता है कि कतिपय लोगो के द्वारा गुटखा, तम्बाकू एवं गुड़ाखू का सेवन कर जगह–जगह थूक दिया जाता है, जिससे संकमण बढ़ने का खतरा है। ऐसी स्थिति में Epidemic Act. 1897 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जिला उत्तर बस्तर कांकेर में गुटखा, तम्बाकू एवं गुड़ाखू के क्रय–विकय को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है।

यह आदेश संपूर्ण जिला उत्तर बस्तर कांकेर में तत्काल प्रभावशील होगा जो दिनांक 03.05.2020 या आगामी आदेश, जो पहले आये तक प्रभावशील होगा।

इस आदेश का उल्लंघन किये जाने पर धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश आज दिनांक 16.04.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(के. एल. चौहान)
कलेक्टर, 1614
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

न्यायालय जिलादण्डाधिकारी उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

"गढ़बो नवा छत्तीसगढ़"